न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2020/565 दिनांक – 2.3.2020

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1 चेतनराम पुत्र मुकनाराम जाति जाट निवासी करडानाडा, बेरिवाला तला तहसील व जिला बाडमेर।		1 पूनमाराम पुत्र देराजराम वगैराह जाति जाट निवासी करडानाडा, बेरिवाला तला तहसील व जिला बाडमेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,करने नेखमबन्दी बाबत

राजस्व आवेदन संख्या :– 431/2019 दिनांक– 26.2.2020

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा करडानाडा पटवार क्षेत्र बेरिवाला तला तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 1251 रकबा 15.05 बीघा, खसरा संख्या 1667/1252 रकबा 41.04 बीघा, खसरा संख्या 1669/1267 रकबा 09.12 बीघा व खसरा संख्या 1668/1252 रकबा 0.14 बीघा कुल रकबा 67.05 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने की बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

क्रमांक :– रीडर/2020/566-569 दिनांक– 2.3.2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी बेरिवाला तला तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. चेतनराम पुत्र मुकनाराम जाति जाट निवासी करडानाडा, बेरिवाला तला तहसील व जिला बाडमेर।
4. विप्रार्थी पूनमाराम पुत्र देराजराम वगैराह जाति जाट निवासी करडानाडा, बेरिवाला तला तहसील व जिला बाडमेर।

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeraj Mishra
Date: 2020.06.25 15:30:51 IST
Reason: SelfAttested